रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2014/पौष 12, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 211

No. 2] DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2014/PAUSHA 12, 1935 [N.C.T.D. No. 211

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 2 जनवरी, 2014

फा. सं. 23(7)/2014/विसस-5/विधायी/6434.—माननीय अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2001 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) की धारा 2 के अनुसरण में डॉ. हर्षवर्द्धन, सदस्य दिल्ली विधान सभा जो कि सदन में सरकार के विपक्ष में सर्वाधिक सदस्यों वाले दल के नेता है, को दिनांक 2 जनवरी, 2014 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की है ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 2nd January, 2014

No. 23 (7)/2014/LAS-V/Leg./6434.—The Hon'ble Speaker has recognized Dr. Harsh Vardhan, Member of the Legislative Assembly who is, the Leader of the House of the Party in Opposition to the Government having the greatest numerical strength, as Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with

effect from 02.01.2014 in terms of Section 2 of the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salary and Allowances) Act, 2001 (Delhi Act No. 6 of 2002).

फा. सं. 23(6)/2014/विसस-5/विधायी/6421.—माननीय अध्यक्ष ने श्री जगदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के मुख्य सचेतक वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 2003 (2003 का दिल्ली अधिनियम संख्या 5) की धारा 2 के प्रावधानों के अनुरूप प्रभाव से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में बहुमत दल के मुख्य सचेतक की मान्यता प्रदान की है ।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

No. 23 (6)/2014/LAS-V/Leg./6421.—The Hon'ble Speaker has recognized Shri Jagdeep Singh, Member of the Legislative Assembly, as Chief Whip of the majority party in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect in terms of Section 2 of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Terriotry of Delhi (Salary and Allowances) Act, 2003 (Delhi Act No. 5 of 2003).

P. N. MISHRA, Secy.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2014

सं. फा. 36/26/प्रशिक्षण/प्रशा 2008/05-07.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.08.1969 की अधिसूचना संख्या फा0 2(13)/ 68 सेवा-II के अनुसार प्रकाशित सहायक भण्डारपाल, भण्डारपाल एवं भण्डार अधीक्षक के पदों से संबंधित प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में सहायक भण्डारपाल (प्रथम अनुसूची), भण्डारपाल (द्वितीय अनुसूची) एवं भण्डार अधीक्षक (तृतीय अनुसूची) के पदों की भर्ती पद्धति विनियमित करने के लिये इसके द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (i) इन नियमों को सहायक भण्डारपाल, भण्डारपाल एवं भण्डार अधीक्षक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार भर्ती नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।

   (ii) यह दिल्ली शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उनके साथ संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न सहायक भण्डारपाल के लिये प्रथम अनुसूची, भण्डारपाल के लिये द्वितीय अनुसूची एवं भण्डार अधीक्षक के लिये तृतीय अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि** :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूचियों के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :- ऐसा कोई भी व्यक्ति :

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

   (ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

   उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।